संख्या–[illegible]/xxiv(7)–23(6)/2014

डिग्री सेवा I / संस्थान / प्लान

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी नैनीताल।

9/10/2014

शिक्षा अनुभाग–7(उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

विषय:– कोटद्वार भाबर क्षेत्र में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या : डिग्री प्लान/5454/2014–15 दिनांक 07.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कोटद्वार भाबर क्षेत्र में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति निम्नविवरणानुसार असिस्टेन्ट प्रोफेसरों/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक (बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जाँय) के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्रसं	पदनाम	वेतनमान रू. में	ग्रेडवेतन रू. में	पद
1	प्राचार्य	37400–67000	10000	01 एक
2	असिस्टेंट प्रोफेसर–हिन्दी	15600–39100	6000	01 एक
3	असिस्टेंट प्रोफेसर–अंग्रेजी	15600–39100	6000	01 एक
4	असिस्टेंट प्रोफेसर–समाजशास्त्र	15600–39100	6000	01 एक
5	असिस्टेंट प्रोफेसर–संस्कृत	15600–39100	6000	01 एक
6	असिस्टेंट प्रोफेसर–राजनीतिशास्त्र	15600–39100	6000	01 एक
7	असिस्टेंट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र	15600–39100	6000	01 एक
8	असिस्टेंट प्रोफेसर–वाणिज्य	15600–39100	6000	03 एक
9	सहायक पुस्तकायाध्यक्ष	5200–20200	2800	01 एक
10	प्रधान सहायक	5200–20200	4200	01 एक
11	वरिष्ठ सहायक	5200–20200	2800	01 एक
12	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	2000	02 दो
13	पुस्तकालय लिपिक	5200–20200	1900	01 एक
14	बुक लिफ्टर	आउटसोर्सिंग के माध्यम से		01 एक
15	अनुसेवक			03 दो
16	स्वच्छक/चौकिदार			02 दो
	कुल योग–			22 पद

2– सृजित पदों के सापेक्ष सुसंगत सेवानियमावली के आलोक में नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

.........2/

संख्या– /xxiv(7)–18(घो0)/2015

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7(उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 22 जुलाई 2015

विषयः– नये राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार भाबर (पौड़ी गढ़वाल) में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–डिग्री प्लान/904/2015–16 दिनांक 16.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नये राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार भाबर में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय प्रारम्भ हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति किये जाने हेतु निम्नलिखित तालिकानुसार उल्लिखित असिस्टेन्ट प्रोफेसरों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक (बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जॉय) के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

कसं	पदनाम	वेतनमान रू. में	ग्रेडवेतन रू. में	पद
1	असिस्टेंट प्रोफेसर–जन्तु विज्ञान	15600–39100	6000	01
2	असिस्टेंट प्रोफेसर–वनस्पति विज्ञान	15600–39100	6000	01
3	असिस्टेंट प्रोफेसर–भौतिक विज्ञान	15600–39100	6000	01
4	असिस्टेंट प्रोफेसर–रसायन विज्ञान	15600–39100	6000	01
5	असिस्टेंट प्रोफेसर–गणित	15600–39100	6000	01
6	प्रयोगशाला सहायक	5200–20200	2400	04
15	प्रयोगशाला परिसर	आउटसोर्स		04
	योग			13

2– सृजित पदों के सापेक्ष सुसंगत सेवानियमावली के आलोक में नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी।

..................2

ई मेल से पूर्व मे प्राप्त

L415580/2022

व०प्र०अ०
मूल प्रतिलिपि है
अतः सुरक्षित फाईल करें।
24/5/2022

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–02
संख्या– /XXIV-C-2/2022–23(06)2014
देहरादूनः दिनांक 17 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार भावर, जनपद पौड़ी गढ़वाल का नाम "राजकीय महाविद्यालय, कण्वघाटी, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Signed by Madan Mohan Semwal
Date: 17-05-2022 14:35:02

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या– 334 (1)/XXIV-C-2/2022–23(06)2014, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितिः–

1– महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3– प्रमुख निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
7– सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
8– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
9– निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10–निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
11–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की (हरिद्वार) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप को आगामी गजट में प्रकाशित कराते हुये 25 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12–प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार, भावर जनपद पौड़ी गढ़वाल।
13–वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
14–गार्ड फाईल।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव।

संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A11-155/2018

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

प्राप्ति दिनांक 24/03/2022
क्रमांक 244
फाइल सम्बद्धता

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक 11 मार्च, 2022

महोदय,

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 2557/SDSUV/Aff/2020-21 दिनांक 28-07-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार (भाबर), पौड़ी गढ़वाल को बी0ए0 एवं बी0कॉम0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्र0 सं0	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार (भाबर), पौड़ी गढ़वाल	1. बी0ए0 (हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत,अर्थशास्त्र,समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान) 2. बी0कॉम0	120सीट (प्रति विषय) 120सीट	2019-20 एवं 2020-21

(i) निरीक्षण मण्डल की आख्या/कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अस्थायी सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

(ii) महाविद्यालय के समस्त मानक पूर्ण कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा। जिन मानकों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं0-2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के कम में शासन स्तर से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(iii) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अध्ययनरत छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(iv) अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव सत्र दर सत्र के आधार पर ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होगें।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3764 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A11-155/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार (भाबर),पौडी गढ़वाल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Attested
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
कण्वघाटी कोटद्वार (गढ़वाल)

संख्या : /जी0एस0/शिक्षा/A11-155(1)2021

प्राप्ति दिनांक 24/03/2022
क्रमांक 248
फाइल सम्बद्धता

व.प्र.अ.
फाईल करें।
24/3/2022

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक फरवरी, 2022

महोदय

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 2557/SDSUV/Aff/2020-21 दिनांक 28-07-2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार (भाबर), को बी0-एससी0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33 (1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धो के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्र0 सं0	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, कोटद्वार (भाबर), पौडी गढवाल	1-बी0-एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित) 2-बी0-एससी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान)	120 सीट प्रति विषय 120सीट प्रति विषय	2019-20 एवं 2020-21

(i) निरीक्षण मण्डल की आख्या/कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू0जी0सी0 के विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में अस्थायी सम्बद्धता आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

(ii) विश्वविद्यालय समस्त मानक पूर्ण कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा। जिन मानकों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित हो, उनके सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं0-2565 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के क्रम में शासन स्तर से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(iii) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुये संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व U.G.C/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अध्ययनरत छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(iv) अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होगें।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A11-155(1)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Attested
11.10.2022
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
कण्वघाटी कोटद्वार (गढ़वाल)